159 25 केंद्रीय क्षेत्र के लोक उद्यमों (सीपीएसई) द्वारा विदेश में कच्चा माल परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए नीति हेतु सचिवों की एक समन्वय समिति का गठन

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि सरकार ने कच्चे माल की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित करने, जो कि न केवल विशेष रूप से विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि समग्र रूप से अर्थव्यवस्था के लिए भी महत्वपूर्ण है, के प्रयोजन से एक नीति अनुमोदित की है। यह नीति कृषि, खनन, विनिर्माण और विद्युत क्षेत्रों के सीपीएसई के लिए लागू होगी। इस नीति के कार्यान्वयन के उद्देश्य से एक एकीकृत व्यवस्था लागू की जा रही है, जिसपर संबंधित सीपीएसई और मंत्रालयों द्वारा भरोसा किया जा सकता है।

2. तदनुसार, निम्नलिखित सदस्यों के साथ सचिवों की एक समन्वय समिति गठित करने का निश्चय किया गया है

(i)	मंत्रिमंडल सचिव	अध्यक्ष
(ii)	सदस्य सचिव, योजना आयोग	सदस्य
(iii)	वित्त सचिव,	सदस्य
(iv)	सचिव, विदेश मंत्रालय	सदस्य
(v)	सचिव, कानूनी कार्य विभाग	सदस्य
(vi)	सचिव, लोग उद्यम विभाग	सदस्य
(vii)	संबंधित सीपीएसई, जिसके प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है के प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के सचिव	सदस्य

उपर्युक्त समिति निर्णय करने की दृष्टि से उपयुक्त समझे जाने पर सदस्य (सदस्यों) के रूप में किसी अन्य सचिव (सचिवों) को शामिल कर सकती है।

3. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय और इस्पात मंत्रालय द्वारा स्थापित की गई सचिवों की अधिकार प्राप्त समिति की व्यवस्था आगे भी जारी रहेगी और संबंधित सीपीएसई के निदेशक मंडलों को प्रत्यायोजित शक्तियों से परे विदेश में कच्चा माल परिसंपत्तियों के अधिग्रहण हेतु प्रस्तावों पर विचार करती रहेगी। इसी तरह अन्य मंत्रालय भी वित्त मंत्रालय और लोक उद्यम विभाग द्वारा संवीक्षा के पश्चात ईएससी व्यवस्था अधिसूचित करने के लिए प्राधिकृत हैं।

ऐसे प्रस्ताव, जो सीपीएसई के निदेशक मंडल को प्रत्यायोजित शक्तियों से परे हैं और जिनके लिए समन्वित पहल अथवा बजटीय सहायता आवश्यक है, पर सचिवों की समन्वय समिति (सीसीओएस) द्वारा विचार किया जाएगा। आवश्यक होने पर यह समिति उच्च मूल्य वाली अथवा रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण परिसंपत्तियों के अधिग्रहण में समन्वित पहल को सुकर बनाएगी।

सीपीएसई द्वारा विदेश में कच्चा माल परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए निम्नलिखित श्रेणियों वाले प्रस्ताव सचिवों की समन्वय समिति के समक्ष रखे जाएंगे और इन्हें सचिवों के अधिकार प्राप्त समिति के जरिए भेजने की आवश्यकता नहीं होगीः

(i) ऐसे प्रस्ताव जहां प्रशासनिक मंत्रालय/सीपीएसई किसी समन्वित दृष्टिकोण के लिए अनुरोध करता है, जबकि परिसंपत्तियों का अधिग्रहण सीपीएसई की निधियों से किया जाना है और किया जाने वाला निवेश सीपीएसई के निदेशक मंडल को प्रत्यायोजित शक्तियों के अंतर्गत आता है, साथ ही सीपीएसई ने अपने अनुरोध के लिए कारण भी बताए हैं।

(ii) सीपीएसई द्वारा विदेश में कच्चा माल परिसंपत्तियों के अधिग्रहण संबंधी ऐसे सभी प्रस्ताव, जिनमें सीसीईए को प्रस्तुत किए जाने से पहले सरकारी निधियां शामिल हैं।

4. उपर्युकत समिति निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर आर्थिक कार्यों पर मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा विचार किए जाने से पहले सीपीएसई द्वारा विदेश में कच्चा माल परिसंपत्तियों के अधिग्रहण हेतु प्रस्तावों का मूल्यवर्धन करेगीः

i. भारतीय कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा से बचना
ii. किसी विरोधाभास के मामले में राष्ट्र के हितों की तुलना में संबंधित सीपीएसई के हितों का पुनर्मिलान
iii. उपलब्ध अनुभव साझा करने के लिए एक फोरम उपलब्ध कराना
iv. त्वरित, समन्वित निर्णय प्रक्रिया को सुकर बनाना
v. लक्षित देश में अवसंरचना विकास की संभावना तलाशना
vi. प्राकृतिक संसाधनों की आपूर्ति के लिए दीर्घकालिक प्रतिबद्धता हेतु बदले में विदेशी उद्यम/सरकार को छूट प्राप्त क्रेडिट की समन्वित स्वीकृति।
vii. विदेश में निवेश प्रस्ताव के लिए सरकारी निधियन और इसके स्वरूप (अनुदान, ऋण अथवा इक्विटी) के संबंध में सिफारिश करना।

5. उपर्युक्त समिति को लोक उद्यम विभाग (डीपीई) में स्थापित किए जाने वाले एक विशेष प्रकोष्ठ द्वारा सेवाएं प्रदान की जाएंगी, जो संबंधित मंत्रालयों के घनिष्ठ समन्वयक में संबंधित कार्यकलापों का केवल समन्वयन करेगा।

6. यदि सीपीएसई/मंत्रालय उपर्युक्त समिति से संपर्क करने का निश्चय करता है, तो वह डीपीई को प्रस्ताव से संबंधित आवश्यक विवरण प्रस्तुत करेगा। डीपीई विदेशों में कच्चा माल परिसंपत्तियों के अधिग्रहण पर उनकी टिप्पणियों के लिए उपर्युक्त प्रस्ताव के विवरण उपर्युक्त समिति के सदस्यों को परिचालित करेगा। संबंधित सीपीएसई/मंत्रालय अपने अधिग्रहण प्रस्ताव के संबंध में एक नोडल अधिकारी मनोनीत करेगा, जिससे कि डीपीई में इस प्रकोष्ठ /इस समिति के साथ पूरी तरह से समन्वय सुनिश्चित किया जा सके।

7. डीपीई जितनी जल्दी संभव होगा, परंतु प्रस्ताव के विवरण प्राप्त होने से 2 सप्ताह के बाद नहीं, विदेश में कच्चा माल परिसंपत्तियों के अधिग्रहण पर उपर्युक्त समिति की एक बैठक आयोजित करेगा, जिसमें इस बात का निश्चय किया जाएगा कि प्रस्ताव पर अकेले आधार पर कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए अथवा प्रस्ताव को विभिन्न सीपीएसई/ निजी क्षेत्र की कंपनियों के कंसोर्टियम द्वारा एक व्यापक पहल के रूप में आगे बढ़ाया जाना चाहिए या एक पैकेज डील के रूप में इस संबंध में बातचीत की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त उपर्युक्त समिति ऐसी अवसंरचना के बारे में निर्णय लेगी, जिसका विकास पैकेज के भाग के रूप में किया जा सकता

है। साथ ही लचीले ऋण, शैक्षिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक, स्वास्थ्य और सामाजिक अवसंरचना सहित प्रदान की जा सकने वाली अन्य आवश्यक सहायता पर भी विचार किया जाएगा।

(डीपीई का.ज्ञा.सं. 16 (4)/2010–जीएम, दिनांक 29 दिसम्बर, 2011)

*****